

राजस्थान सरकार  
कार्मिक(क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प.13(51)का/क-1/गो.प्र./2022/02354

जयपुर दिनांक 30.06.2023

—:परिपत्र:—

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 13(51)का/क-1/गो.प्र./2022 दिनांक 30.03.2022 एवं दिनांक 22.04.2022 के द्वारा राज्य के समस्त राजसेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वयं के SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन भरने के प्रावधान किया गया था एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में टिप्पणी अंकन नहीं किये जाने की दशा में Auto Forward Approval प्रणाली अपनाये जाने के प्रावधान किया गया है, तथा परिपत्र दिनांक 22.04.2022 के द्वारा ऑनलाईन कार्य मूल्यांकन से सम्बन्धित दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

अतः उक्त के क्रम में राज्य सेवा के समस्त राजसेवकों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन भरने एवं Auto Forward/Approval किये जाने हेतु समय सीमा दिनांक 30.06.2023 से बढ़ाकर दिनांक 31.07.2023 तक की जाती है।

भवदीय

(अक्षय गोदारा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/उपशासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Akshay Godara  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.06.30 12:09:00 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4166215

